



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 अप्रैल, 2021

चैत्र 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यू०ओ० 63/छ:-पु०-9-2020-167जी-09-न्याय-2  
लखनऊ, 9 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

प०आ०-113

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से संबंधित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया जायेगा, जिनका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

राज्यपाल, अग्रतर नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी०बी०आई०, लखनऊ में कार्यरत अधिकारी को, समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिये तत्काल प्रभाव से सशक्त करती हैं और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का त्याग

किये जाने पर पद में उनका उत्तरवर्ती, समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेगा।

### अनुसूची

क्र० सं०	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	श्री विजय चन्द यादव	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध (सी०बी०आई०), न्यायालय संख्या-4, लखनऊ	गोरखपुर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, सोनभद्र, सीतापुर, गाजीपुर, देवरिया, तथा बाराबंकी और उक्त के अतिरिक्त पूर्वोक्त विशेष न्यायालय संख्या-4, लखनऊ जिला उन्नाव में आर०सी० संख्या 9/2018(एफ०आई०आर० संख्या-89/2018) और आर०सी० संख्या 10/2018 (एफ०आई०आर० संख्या-90/2018) की विशेष न्यायालय में लम्बित आर०सी० संख्या 8/2018(एफ०आई०आर० संख्या- 96/2018) तथा आर०सी० संख्या 11/2018(एफ०आई०आर० नं०-316/2017) और लम्बित सेशन केस संख्या-119/2017, जो अधिसूचना संख्या-यू०ओ०-26/छ:-पु०-9-18-878/2018-न्याय-2, दिनांक 25 जून, 2018 द्वारा सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रूप में इंटरलिंकड है, के समस्त वादों को निस्तारित करेगा।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-63/VI-P-9-2020-167G-09-Nyay-2, dated April 9, 2021:

No. U.O.-63/VI-P-9-2020-167G-09-Nyay-2

*Dated Lucknow, April 9, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) hereinafter referred to as the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint from the date of their taking over charge the Additional District Judge mentioned in Column-2 of the Schedule below, as Special Judge for the areas mentioned in Column-4 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act in which, hereinafter charge sheets are filed in their courts by Special Police Establishment of the Government of India and to direct that such other cases arising within the said areas, in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special Police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed off by him and their court shall be designated as specified in Column-3 of said Schedule with headquarters at Lucknow.

The Governor is further pleased to empower the officer mentioned in Column-2 of the Schedule below holding the Special Court, Anti Corruption, CBI, Lucknow for disposing off all as well as cases

which may be filed in future for the area of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special Court, his successor in office will try and dispose all as well cases which may be filed in future for the area of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Judge	Name of the Court	Area of Jurisdiction
1	2	3	4
1	Sri Vijay Chand Yadav	Special Court of Anti Corruption (C.B.I.), Court No. 4, Lucknow	Gorakhpur, Farrukhabad, Mirzapur, Unnao, Sonbhadra, Sitapur, Ghazipur, Deoria, Barabanki and in addition, the aforesaid Special Court No. 4, Lucknow will dispose off the cases where RC No. 9/2018 (F.I.R. No. 89/2018) and RC No. 10/2018 (F.I.R. No. 90/2018) are pending, as Special Court to try RC No. 8/2018 (F.I.R. No. 96/2018) and RC No. 11/2018 (F.I.R. No. 316/2017) & Sessions Case No. 119/2017 pending with the Unnao district, so as to bring all cases, which are interlinked as notified by the Government notification no. U.O. 26/Six-Pu-9-18-878-2018-Nyaya-2, dated June 25, 2018.

By order,  
 AWANISH KUMAR AWASTHI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*